अग्निपथ के बाद: पूर्व-अग्निवीरों के लिए CAPF में आरक्षण

रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और रोज़गार नीति | समाचार संदर्भ: 21 जुलाई 2026 (लोकसभा) और 6 जुलाई 2026 (रिपोर्ट) | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

अग्निपथ योजना में भर्ती हुए जवान चार वर्ष की सेवा के लिए नियुक्त होते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की 6 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक बैच इसी वर्ष के अंत में चार वर्ष पूरे करेंगे, और सेवा के बाद मौजूदा निर्धारित अनुपात (रिपोर्ट के अनुसार 25 प्रतिशत) को ही नियमित सैनिक के रूप में वापस लिया जाता है। बाकी जवानों के आगे के अवसर इसलिए नीतिगत बहस का विषय हैं।

खबरों में क्यों

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में लिखित उत्तर (PIB, PRID 2287043) में बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन की भर्ती में “पूर्व-अग्निवीर” की नई श्रेणी बनाई है। इसमें 50 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण, ऊपरी आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट (पहले बैच के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष), और शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा लिखित परीक्षा से छूट शामिल है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित पूर्व-अग्निवीर प्रकोष्ठ भी बना है। उत्तर के अनुसार तब तक पहले बैच ने अपना सेवा-काल पूरा नहीं किया था।

मुख्य अवधारणा: आरक्षण और छूट

यहाँ “आरक्षण” का अर्थ है कि CAPF की इन भर्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ पूर्व-अग्निवीर श्रेणी के लिए हैं, जैसा कि उत्तर में लिखा है। आयु-छूट और परीक्षा-छूट उस श्रेणी की पात्रता को आसान बनाती हैं। उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि यह आरक्षण अन्य आरक्षित वर्गों के साथ कैसे गिना जाएगा, इसलिए इस लेख में उस पर कुछ नहीं कहा गया।

पूर्व-अग्निवीर: CAPF/असम राइफल्स में प्रावधान

लोकसभा उत्तर, 21 जुलाई 2026

पूर्व-अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में प्रावधान (गृह मंत्रालय, 21 जुलाई 2026)

आरक्षण	कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) / राइफलमैन के 50% पद
आयु-छूट	ऊपरी आयु-सीमा में 3 वर्ष; पहले बैच को अतिरिक्त 5 वर्ष
परीक्षा-छूट	PST, PET और लिखित परीक्षा से छूट
समन्वय	गृह मंत्रालय के अंतर्गत समर्पित पूर्व-अग्निवीर प्रकोष्ठ

उत्तर के समय (21 जुलाई 2026) पहले बैच ने सेवा-काल पूरा नहीं किया था

स्रोत: PIB, गृह राज्य मंत्री का लोकसभा में लिखित उत्तर, 21 जुलाई 2026 (PRID 2287043)

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

स्रोत	**लोकसभा में गृह राज्य मंत्री का लिखित उत्तर, PIB, 21 जुलाई 2026 (PRID 2287043)**
नई श्रेणी	CAPF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन की भर्ती में “पूर्व-अग्निवीर”
प्रावधान	50% रिक्तियों का आरक्षण; ऊपरी आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट, पहले बैच को अतिरिक्त 5 वर्ष; PST, PET और लिखित परीक्षा से छूट
संस्थागत व्यवस्था	गृह मंत्रालय के अंतर्गत समर्पित पूर्व-अग्निवीर प्रकोष्ठ
स्थिति (उत्तर के समय)	पहला बैच अपना सेवा-काल पूरा नहीं कर पाया था
रिपोर्ट (द इंडियन एक्सप्रेस, 6 जुलाई 2026)	सूत्रों के अनुसार नौसेना लगभग 75% और थल-वायु सेना लगभग 50% स्थायी वापसी चाहती हैं; अनुमोदित अनुपात फ़िलहाल 25%; सेनाओं ने रिपोर्टर के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था

दो अलग प्रश्न

सेवा के बाद: CAPF का रास्ता: यह सरकार का आधिकारिक, लिखित उत्तर में बताया गया प्रावधान है। इसका सीधा संबंध उन पूर्व-अग्निवीरों से है जो सेनाओं में स्थायी रूप से वापस नहीं लिए जाते।

सेनाओं में स्थायी वापसी: यह प्रश्न रिपोर्टों पर आधारित है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सेनाएँ अधिक प्रतिशत चाहती हैं, पर मौजूदा अनुमोदित अनुपात 25 प्रतिशत है। इस पर कोई आधिकारिक निर्णय हमारे स्रोतों में नहीं मिला।

दोनों का संबंध: यह हमारी व्याख्या है कि CAPF-आरक्षण उन जवानों के लिए एक विकल्प बनाता है जो सेनाओं में स्थायी रूप से नहीं लिए जाते। उत्तर में दोनों को जोड़ने का कोई कथन नहीं है।

यह विषय क्यों मायने रखता है

रोज़गार और सेवा-शर्तें: चार वर्ष की सेवा के बाद जो जवान स्थायी रूप से नहीं लिए जाते, उनके आगे के अवसरों का प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। यह प्रावधान उस प्रश्न का एक सरकारी उत्तर है, जिसका प्रभाव तब दिखेगा जब पहला बैच बाहर आएगा। यह हमारी व्याख्या है।

दो मंत्रालयों का संबंध: यह उत्तर गृह मंत्रालय का है, जो CAPF और असम राइफल्स की भर्ती से संबंधित है। सेनाओं में स्थायी वापसी का प्रश्न अलग है और उस पर हमारा स्रोत केवल एक समाचार-रिपोर्ट है। यह भेद हमारी व्याख्या है, उत्तर का कथन नहीं।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

क्रियान्वयन का अभाव: उत्तर के समय पहले बैच ने सेवा पूरी नहीं की थी, इसलिए इन प्रावधानों का वास्तविक असर उस समय नहीं मापा जा सकता था।

50% की सीमा: उत्तर में 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख है, पर उसमें यह नहीं है कि यह कितने पदों पर लागू होगा या कितने पूर्व-अग्निवीर पात्र होंगे। इसलिए प्रभाव का अनुमान हमारे स्रोतों से संभव नहीं।

रिपोर्ट की प्रकृति: सेनाओं की स्थायी वापसी की माँग सूत्रों पर आधारित एक रिपोर्ट है। हमने किसी आधिकारिक दस्तावेज़ में इसकी पुष्टि नहीं देखी।

आगे की राह

आगे देखने की बातें ये हैं: पहला बैच बाहर आने पर CAPF में वास्तविक भर्ती कैसी रहती है, और क्या सेनाओं में स्थायी वापसी का अनुपात बदलता है। इन पर हमारे पास जुलाई 2026 के बाद की जारीकर्ता-पुष्ट जानकारी नहीं है।

अवधारणा में अंतर

तीन बातें अलग रखें: (1) लोकसभा के उत्तर में बताया गया आधिकारिक प्रावधान; (2) द इंडियन एक्सप्रेस की सूत्र-आधारित रिपोर्ट कि सेनाएँ अधिक स्थायी वापसी चाहती हैं; और (3) हमारी व्याख्या कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

मेंस दृष्टि

GS-III: रक्षा और आंतरिक सुरक्षा; GS-II: सरकारी नीतियाँ और रोज़गार। उत्तर में आधिकारिक प्रावधान और रिपोर्ट-आधारित बातें अलग-अलग लिखें, और सीमाएँ बताएँ।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

लोकसभा में 21 जुलाई 2026 को बताए गए पूर्व-अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स के प्रावधानों की चर्चा कीजिए। अग्निपथ योजना के संदर्भ में इनकी उपयोगिता और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अग्निपथ का चार वर्ष का ढाँचा।

मुख्य भाग में: CAPF-प्रावधान (आरक्षण, आयु-छूट, परीक्षा-छूट, प्रकोष्ठ); सेनाओं में वापसी का प्रश्न; उपयोगिता; सीमाएँ।

निष्कर्ष में: आरक्षण और छूट को चार वर्ष की सेवा के बाद अवसर देने वाले प्रावधानों के रूप में परखें; इन्हें वास्तविक नियुक्ति या सेनाओं में स्थायी वापसी की बदली नीति न मानें, क्योंकि उत्तर के समय पहले बैच की सेवा पूरी नहीं हुई थी।

स्रोत

- PIB: Reservation for Ex-Agniveers, गृह राज्य मंत्री का लोकसभा में लिखित उत्तर (21 जुलाई 2026), पूरा पढ़ा गया
- The Indian Express: Agnipath scheme: Armed Forces seek larger retention of Agniveers after end of 4-year tenure (6 जुलाई 2026), सूत्र-आधारित रिपोर्ट

PIB का उत्तर पूरा पढ़ा गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मुख्य भाग पढ़ा गया और वह सूत्रों पर आधारित है। सेनाओं या रक्षा मंत्रालय का कोई आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं पढ़ा गया। जुलाई 2026 के बाद की स्थिति, जैसे पहले बैच का बाहर आना या अनुपात में बदलाव, की जाँच नहीं की गई।

याद रखें: लोकसभा के 21 जुलाई 2026 के उत्तर के अनुसार पूर्व-अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स की कुछ भर्तियों में 50% आरक्षण, आयु-छूट और परीक्षा-छूट है; पहले बैच ने तब तक सेवा पूरी नहीं की थी।